राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाडा (राज.)

2025/32

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना-पत्र	22/25 22/25	17/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री सुरेशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल श्री शंकर पुत्र भैरूलाल

निवासी मानपुरा, बिजौलिया निवासी मानपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री M.K.D. श्री

FORM NO. III

111-128

2025

पत्रावली पेश हुई। समक्ष विपक्षीगण जरिये तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी सं. [illegible] अनुपस्थित है। विपक्षीगण को उक्त समय दिया गया परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जाए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली [illegible] शुमार [illegible] नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 22/25 तारीख दायर 17/2/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....22........../ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

सुरेशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पुत्र रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहन पुत्र भैरूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रमेश पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कैलाश पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 244 पर अंकित आराजी संख्या 313 रकबा 0.4937 हैक्टेयर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.2509 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 22/25 तारीख दायर 17/2/25

सुरेशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पुत्र रामा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहन पुत्र भैरूलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी छतरीखेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रमेश पुत्र जयलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कैलाश पुत्र ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24/3/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बावत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम मानपुरा पटवार हल्का थड़ौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 244 पर अंकित आराजी संख्या 313 रकबा 0.4937 हैक्टेयर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.2509 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ
जिला–भीलवाड़ा